:: आदेश ::

आ0 प्राप्त 30/10/24

शासनादेश संख्या–371/XVIII-B-1/2024-12(5)/2023 दिनांक 23.04.2024 एवं शासनादेश संख्या–635/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 03.07.2024 से वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्ययोजनाओं के मरम्मत हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़** को **04 कार्ययोजनाओं** के सापेक्ष **₹ 3.80 लाख (₹ तीन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0 स0	तहसील/खण्ड विकास/ ग्राम नाम/स्थान का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणन की धनराशि (रू0 लाख में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
01	02	03	04	05	06
1.	पिथौरागढ़/ पिथौरागढ़/ लिन्ठ्यूडा	वार्ड लिन्ठ्यूडा श्रीमती आनंदी देवी भवन के निकट क्षतिग्रस्त दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़	1.00	0.80
2.	पिथौरागढ़/ पिथौरागढ़/लिन्ठ्यूडा	वार्ड लिन्ठ्यूडा श्री राजेन्द्र सिंह भवन के निकट क्षतिग्रस्त दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़	2.44	1.00
3.	पिथौरागढ़/ पिथौरागढ़/बजेटी	वार्ड बजेटी में डॉ0 बालादत्त तिवारी भवन के पास क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़	2.48	1.00
4.	पिथौरागढ़/ पिथौरागढ़/बजेटी	वार्ड बजेटी श्री सुक्कम सिंह नपच्याल भवन के निकट दीवार,नाली व रास्ता निर्माण कार्य।	नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़	2.49	1.00
		योग		**8.41**	**3.80**

उक्त स्वीकृत कुल **₹ 3.80 लाख (₹ तीन लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जा रही है। **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़** को उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षतिग्रस्त कार्यो के समय के फोटोग्राफ, मरम्मत कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन में कार्य पूर्ण कर प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को GEO Tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा मोचन निधि में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

निर्माण/JE/ कार्यवाही

नगर निगम

Scanned with CamScanner

4— कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

5— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

6— संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है । स्वीकृत धनराशि नर्व निर्माण कार्यो में कदापित व्यय नही की जायेगी। कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नही की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7— स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024—25 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी। ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते है। अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यो, नवनिर्माण कार्यो तथा विकास कार्यो में किसी भी दशा में व्यय न करें ।

8— दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

9— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें ।

10— कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेगें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

11— इस मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ एवं वीड़ियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्त का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था के भुगतान किया जायेगा । कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सिमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा। कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

12— उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय—समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरादायी रहेंगे।

13— **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र—1, प्रपत्र—2, एवं प्रपत्र—3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

Scanned with CamScanner

14— कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक–पृथक फोटोग्राप उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

15— संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय वं दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्ष हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक२९ अक्टूबर, 2024

ह0/—
(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिथौरागढ़।

संख्या—279 /तेरह—एस0डी0आर0एफ0/2024—25 दिनांक२९ अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3— उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4— **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़** ।
5— अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़ ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

Scanned with CamScanner